30/4/24	पत्रावली पेश हुई। प्रा० पत्र O7 R11 CPC प्रतिवादी नंबर 1 व 6 स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. खिलाडी उम्र 45 साल पुत्र पिल्लू
2. श्रीमती उम्र 65 साल पत्नि पिल्लू
3. उगन्ती उम्र 50 साल पत्नि गुलाब
4. बचन उम्र 38 साल
5. लक्ष्मीचंद उम्र 30 वर्ष पुत्रान गुलाब
6. रामकेश उम्र 25 साल
7. रूपकिशोर उम्र 54 साल पुत्र कन्हैया
8. रामदयाल पुत्र कन्हैया उम्र 41 साल

सभी जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गीता उम्र 49 साल
2. विमला उम्र 47 साल
3. कमला उम्र 45 साल
4. शीला उम्र 43 साल
5. पप्पी उर्फ मिथलेश उम्र 41 साल
6. सुनीता उम्र 38 साल

पुत्रीयान किस्तूरी बेवा मिश्रया तेली

7. कन्हैया उम्र 51 साल पुत्र मिश्रया जाति तेली
8. गीता उम्र 40 साल बेवा गोपाल
9. राहुल उम्र 22 साल पुत्र गोपाल
10. तुषार उम्र (नाबा) पुत्र गोपाल जरिये संरक्षक मां गीता पत्नि गोपाल
11. संध्या उम्र 20 साल पुत्री गोपाल

सभी जातियान तेली राठौर निवासीयान भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट

में

आदेश 7 नियम 11 (a) व (d) सीपीसी

मुकदमा नं. 18/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री नेमीचंद, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री ऐश्वर्य सिंह, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 6 आदेश 7 रूल 11 (a) व (d) सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–18 / 23 तारीख रजु:–6.4.23

उनवान

1. खिलाडी उम्र 45 साल पुत्र पिल्लू
2. श्रीमती उम्र 65 साल पत्नि पिल्लू
3. उगन्ती उम्र 50 साल पत्नि गुलाब
4. बचन उम्र 38 साल
5. लक्ष्मीचंद उम्र 30 वर्ष पुत्रान गुलाब
6. रामकेश उम्र 25 साल
7. रूपकिशोर उम्र 54 साल पुत्र कन्हैया
8. रामदयाल पुत्र कन्हैया उम्र 41 साल

सभी जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गीता उम्र 49 साल
2. विमला उम्र 47 साल
3. कमला उम्र 45 साल
4. शीला उम्र 43 साल
5. पप्पी उर्फ मिथलेश उम्र 41 साल
6. सुनीता उम्र 38 साल

पुत्रीयान किस्तूरी बेवा मिश्रया तेली

7. कन्हैया उम्र 51 साल पुत्र मिश्रया जाति तेली
8. गीता उम्र 40 साल बेवा गोपाल
9. राहुल उम्र 22 साल पुत्र गोपाल
10. तुषार उम्र (नाबा) पुत्र गोपाल जरिये संरक्षक मां गीता पत्नि गोपाल
11. संध्या उम्र 20 साल पुत्री गोपाल

सभी जातियान तेली राठौर निवासीयान भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट में

आदेश 7 नियम 11 (a) व (d) सीपीसी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

—::आदेश::— दिनांकः—30.4.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजीयात ख.न. 8271 में स्वयं के संपूर्ण हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा शिवहरी सिंह पुत्र प्यारसिंह गुर्जर एवं मधुकर शर्मा पुत्र मनोज कुमार शर्मा को किया जा चुका है और नवीन खरीददारान के हक में जरिये नामान्तकरण 4183 दि. 16.7.2025 तस्दीक होकर खातेदारी अधिकार भी नवीन खरीददारान को हासिल हो चुके है ऐसी स्थिति में अब इस प्रकरण में वादीगण हम प्रतिवादीगण से कोई दादरसी प्राप्त नही कर सकतें और ना ही कोई वादकारण अब हम प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 के विरूद्व शेष रहा हैं। वादीगण को भी उक्त बेचान व जमाबंदी इन्द्राजात की पूर्ण जानकारी है उसके बावजूद वादीगण द्वारा नवीन खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया। अंत में प्रार्थना स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण अप्रार्थीयान द्वारा जबाव प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण निराधार एवं कानून के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय करौली द्वारा नामांतकरण सं0 3953 एंव नांमातकरण सं0 3972 को कन्हैया वगै0 के हक में स्वीकार हूं तथा उसे अपील सं0 51/2023 एवं अपील सं0 12/2023 के निर्णय दिनांक 29.7.2025 को निरस्त कर दिये थें। इसलिए नं.स. 4183 दि016.7.25 को शिवहरी सिंह मधुकर शर्मा एवं रामलखन के हक में कानून के विपरीत नामांतकरण दर्ज कर जमाबंदी में इन्द्राज गलत किया है। अब पूर्व का नामांतकरण निरस्त होन पर उसके बाद के नामांतकरण स्वतः ही निरस्त माने जाते हैं। अंत में प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना—पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना—पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि हम प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजीयात ख.न. 8271 में स्वयं के संपूर्ण हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा शिवहरी सिंह पुत्र प्यारसिंह गुर्जर एवं मधुकर शर्मा पुत्र मनोज कुमार शर्मा को किया जा चुका है और नवीन खरीददारान के हक में जरिये नामान्तकरण 4183 दि. 16.7.

उपखण्ड अधिकारी

2025 तस्दीक होकर खातेदारी अधिकार भी नवीन खरीददारान को हासिल हो चुके है ऐसी स्थिति में अब इस प्रकरण में वादीगण हम प्रतिवादीगण से कोई दादरसी प्राप्त नही कर सकतें और ना ही कोई वादकारण अब हम प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 के विरूद्व शेष रहा हैं। वादीगण को भी उक्त बेचान व जमाबंदी इन्द्राजात की पूर्ण जानकारी है उसके बावजूद वादीगण द्वारा नवीन खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि प्रतिवादीगण निराधार एवं कानून के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय करौली द्वारा नामांतकरण सं0 3953 एंव नांमातकरण सं0 3972 को कन्हैया वगै0 के हक में स्वीकार हूं तथा उसे अपील सं0 51/2023 एवं अपील सं0 12/2023 के निर्णय दिनांक 29.7.2025 को निरस्त कर दिये थें। इसलिए नं. स. 4183 दि016.7.25 को शिवहरी सिंह मधुकर शर्मा एवं रामलखन के हक में कानून के विपरीत नामांतकरण दर्ज कर जमाबंदी में इन्द्राज गलत किया है। अब पूर्व का नामांतकरण निरस्त होन पर उसके बाद के नामांतकरण स्वतः ही निरस्त माने जाते हैं। अंत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड व दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा अपना हिस्सा जरिये वयनामा शिवहरी सिंह पुत्र प्यारसिंह एवं मधुकर शर्मा पुत्र मनोज कुमार शर्मा को विक्रय किया जा चुका है और उनके हक में नामांतकरण नंबर 4183 दिनांक 16.07.2025 को स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत 2076–79 खातेदारी इन्द्राज दर्ज 6/8 हिस्से के हो चुके है। इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6 के विरूद्व वादीगण को कोई वादकारण शेष नहीं रहता है एवं वादीगण द्वारा नवीन खातेदार खरीदारान को पक्षकारान दावे में नहीं बनाया है। इसलिए दावा वादीगण वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान आदेश 7 रूल 11 (a) व (d) सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 6 आदेश 7 रूल 11 (a) व (d) सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली